अखबार वो जो दिखाता है सच
हिन्दी दैनिक

तेजयुग न्यूज़

स्थापना दिवस 2024
www.tejyug.com
• शुक्रवार, 29 मार्च, 2024
• Friday, 29 March, 2024
• वर्ष/year : 01 • अंक/issu : 88 • पृष्ठ/page : 12 • मूल्य/rate : 3 ₹
हापुड़ से प्रकाशित/ Published From Hapur
UPHIN/2023/51292

यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत

2005 से सजा काट रहा था; अलग-अलग मामलों में 2 बार उम्रकैद हुई

तेजयुग न्यूज़

बांदा (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। गुरुवार शाम को उसे जेल से बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। जेल प्रशासन ने अभी तक कोई बयान नहीं किया है।

वहीं, मऊ और गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहा था। अलग-अलग मामलों में उसे 2 बार उम्रकैद हुई है।

केजरीवाल एक अप्रैल तक ईडी की हिरासत में

कोर्ट में खुद पैरवी की, कहा-क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी हैं

तेजयुग न्यूज़

नई दिल्ली(एजेंसी) । शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी में हिरासत चार दिन और बढ़ा दी है। वे एक अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। बुधवार को कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी।

केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ चार जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया, जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा- मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं हैं। वहीं, कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी।

पत्नी बोली-केजरीवाल की तबीयत ठीक नहीं

केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने कहा कि उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। आपके मुख्यमंत्री को बहुत तंग किया जा रहा है। जनता जवाब देगी। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को कोर्ट ने 7 दिन की कस्टडी में भेजा था। आज उनकी कस्टडी समाप्त होने वाली थी। इस पर ईडी ने उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया।

इधर केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली अर्जी खारिज

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कार्यपालिका का मसला है। इस याचिका पर हमें सुनवाई नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका को ये मामला देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। 27 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया।

हापुड़ **पारा** अपडेट

मैक्सिमम	मिनीमम
22.00 °C	11.00 °C

सूर्यास्त (आज) ›› 17.10 बजे

सूर्योदय (कल) ›› 06.25 बजे

बेंगलुरु विस्फोट मामले में बरेली में एनआईए ने की पूछताछ

बरेली: बेंगलुरु में राजाजीनगर स्थित रामेश्वरम कैफे में पिछली एक मार्च को हुये विस्फोट की जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बरेली के एक शख्स से लंबी पूछताछ की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली घुले सुशील चन्द्रभान ने गुरुवार को बताया कि एनआईए टीम लखनऊ से बरेली आई थी और धौराटांडा के एक शख्स से पूछताछ के लिए पुलिस की मदद मांगी थी। टीम ने भोजीपुरा थाने में अलग जगह बैठाकर उससे पूछताछ की और फिर लौट गई। किस सिलसिले में पूछताछ की गई यह बात स्थानीय पुलिस को नहीं बताया। वहीं विश्वस्त सूत्रों के अनुसार एनआईए लखनऊ की टीम स्थानीय पुलिस और नायब तहसीलदार (मजिस्ट्रेट) साथ लेकर मौलाना मोहम्मद उमैर के घर पहुंची। घर पर नहीं मिलने पर उसके पिता शोएब को लेकर टीम एक धार्मिक स्थल गई। वहां से मौलाना को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।

केजरीवाल को हटाने की याचिका खारिज, रिमांड मंजूर

जेल से चलेगी दिल्ली की सरकार

▶▶ संविधान में इस पर कुछ भी नहीं है

▶▶ जोरदार तरीके से बात रखी केजरीवाल ने

तेजयुग न्यूज़

नईदिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून में कोई भी बाधा दिखाने में विफल रहा जो गिरफ्तार सीएम को पद संभालने से रोकता है। सीजे ने मौखिक रूप से कहा, हमें दिखाओ, निषेध कहां है। हमें कोई कानूनी बाधा दिखाओ, जिसका आप प्रचार कर रहे हैं। पीठ ने आगे कहा कि मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है और कार्यपालिका इस मुद्दे की जांच कर रही है।

दूसरी तरफ दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी है. पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री को सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया था. वह हिरासत आज समाप्त हो गई और जांच एजेंसी ने शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता से पूछताछ जारी रखने के लिए सात दिन और मांगे थे। इससे पहले आज, श्री केजरीवाल सीधे अदालत को संबोधित करने के लिए उठे, और जांच एजेंसी पर उनकी पार्टी को कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया। श्री केजरीवाल ने बताया, जैसा कि आप ने उनकी गिरफ्तारी के बाद से कहा है - रिश्वत में कथित 100 करोड़ रुपये का कोई हिस्सा बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं पाया है। मुझे गिरफ्तार किया गया लेकिन किसी भी अदालत ने मुझे दोषी साबित नहीं किया।

सीबीआई ने 31,000 पेज (चार्जशीट) दायर की है और ईडी ने 25,000 पेज दाखिल किए हैं। भले ही आप उन्हें एक साथ पढ़ें... सवाल बना हुआ है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है? श्री केजरीवाल ने अदालत से पूछा। आप नेता ने यह भी कहा कि उनका नाम उन हजारों पन्नों में केवल चार बार आया है, और उन चार में से एक सी अरविंद था, न कि अरविंद केजरीवाल। सी. अरविंद पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया के सचिव थे, और उन्होंने अधिकारियों को बताया है कि श्री सिसौदिया - जिन्हें फरवरी में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था - ने कुछ दस्तावेज सौंपे थे।

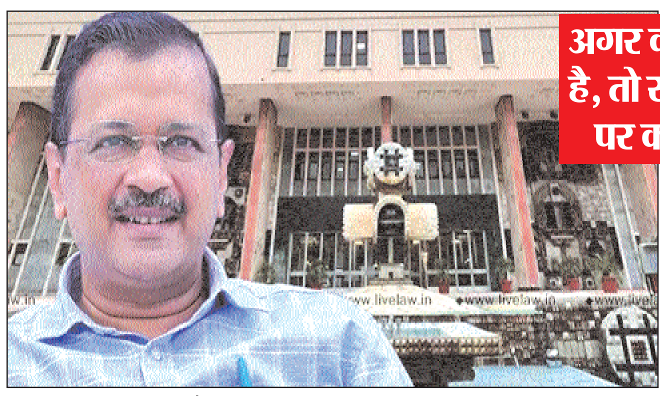

अगर कोई संवैधानिक विफलता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस पर कार्रवाई करेंगे : अदालत

भाजपा द्वारा यह मांग किये जाने के तुरंत बाद दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। दूसरी तरफ केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली विधानसभा का सत्र भी आयोजित किया गया। दरअसल भाजपा को इस बात से परेशानी है कि ईडी की हिरासत में होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल विभागों को निर्देश जारी कर रहे हैं और विभागीय मंत्री उनका पालन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अरविंद फार्मा के एक सरकारी गवाह द्वारा भाजपा को चुनावी बॉंड से चंदा देने का मामला भी अब सार्वजनिक हो गया है। अदालत ने साफ कर दिया कि अगर कोई संवैधानिक विफलता है, तो राष्ट्रपति या राज्यपाल इस पर कार्रवाई करेंगे...क्या इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश है? यह याचिका दिल्ली निवासी सुरजीत सिंह यादव ने खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए दायर की थी। उन्होंने दावा किया कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विशेष रूप से, यादव ने एक अन्य जनहित याचिका भी दायर की है जिसमें केजरीवाल को ईडी की हिरासत में निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने की मांग की गई है।

अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर अमेरिका ने कड़े किये तेवर

गिरफ्तारी के साथ कांग्रेस के बैंक खाता का सवाल

तेजयुग न्यूज़

नईदिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने इस मुद्दे पर अपना मुंह खोला। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने पिछले बुधवार को कहा, अमेरिका निष्पक्ष सुनवाई चाहता है। इसके बाद दिल्ली में तैनात अमेरिकी राजनयिक को भारतीय विदेश कार्यालय ने तलब किया था। उस समन के बाद वॉशिंगटन ने एक बार फिर अपना मुंह खोला। मैथ्यू मिलर ने कल केजरीकांडे में एक बार फिर कहा, अमेरिका इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है। इस बीच, उन्होंने यह भी बताया कि वे दिल्ली में तैनात अमेरिकी उप राजदूत को बुलाने के मामले पर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि, दिल्ली में अमेरिकी उप राजदूत से क्या कहा गया, इस सवाल का मैथ्यू मिलर ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, राजनयिकों के बीच क्या चर्चा हुई, यह मैं सार्वजनिक तौर पर नहीं कहूंगा।

लेकिन हम एक बार फिर इस कथन पर जोर देंगे, अमेरिका एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के लिए खड़ा है। मुझे लगता है कि कोई भी इससे असहमत नहीं होगा। जब हम व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे तो हम इसे सामने लाएंगे। संयोगवश, वाशिंगटन द्वारा केजरीवाल के बारे में खुलकर बात करने के बाद अमेरिकी उप राजदूत ग्लोरिया बारबेना को कल दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था।

भाजपा की तरफ से फिर बैटिंग करने उतरे दिल्ली के उप राज्यपाल

दिल्ली सरकार जेल से नहीं चलेगी: सक्सेना

तेजयुग न्यूज़

नई दिल्ली: उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में सरकार जेल से नहीं चलाई जाएगी, उन्होंने संकेत दिया कि अगर आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर देती है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बावजूद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जब उनसे राजधानी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, 'मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी।

शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हे आप ने कहा है कि केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाना जारी रखेंगे। सक्सेना ने कहा कि अन्य प्रमुख राजधानी शहरों की तुलना में, दिल्ली कुछ विरासत संबंधी मुद्दों के कारण पिछड़ गई है। लेकिन पिछले दो वर्षों में इसे वास्तव में वैश्विक और समावेशी गंतव्य बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए गए। इंडिया अनस्टॉपेबल विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में, सक्सेना ने कहा कि उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने करीब दो साल पहले एलजी के तौर पर काम करना शुरू किया था। उन्होंने कुल मिलाकर भाजपा की दलीलों को ही सार्वजनिक मंच से दोहराया और कहा, बचपन से, हम सभी ने कहावत सुनी है, लोहे के चने चबाना, लेकिन मुझे इसका सही अर्थ तब समझ आया जब मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में काम करना शुरू किया। पिछले साल सितंबर में जी20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली की तैयारियों को याद करते हुए, एलजी ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों की एक टीम के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि राजधानी को दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए तैयार किया जाए।

सीमा सड़क संगठन ने फिर एक कमाल कर दिखाया

लद्दाख के लिए सबसे नजदीकी मार्ग तैयार

नई दिल्ली: सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए शून्य से नीचे के तापमान में नीराक घाटी के चट्टानी पहाड़ों को काटने में सक्षम हो गया है, जो मनाली के बाद लद्दाख को सबसे छोटी और सभी मौसम में चलने वाली धुरी प्रदान करेगा। लेह और श्रीनगर-लेह मार्ग - चीन के साथ सीमाओं पर भारत की रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। नई सड़क, जिसके पूरा होने पर सेना के लिए कम से कम समय में अपनी परिचालन तैनाती को बढ़ाना आसान हो जाएगा, कारगिल-लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। वर्तमान मनाली-लेह मार्ग के विपरीत, जो पाँच दर्रों से होकर गुजरती है, 3,100 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही नई सड़क में केवल एक ही होगा: 16,558 फीट पर शिंकुन ला। श्रीनगर-लेह के रास्ते में भी एक दर्रा है जोजी ला। केवल एक पास होने के बावजूद, श्रीनगर-लेह अक्ष की एक कमी यह है कि यह दुश्मन के हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील है। जनवरी में जमी हुई जांस्कर नदी का लाभ उठाते हुए बीआरओ द्वारा भारी उपकरण और लोगों को भेजने के बाद नई कनेक्टिविटी स्थापित की गई थी।

मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद

दो राज्यों में आफस्पा को छह माह बढ़ाया गया, चार लोगों को गिरफ्तार किया

▶▶ मणिपुर में दो दिन की छुट्टी रद्द कर दी

▶▶ सेना को मिली थी इसकी गुप्त जानकारी

▶▶ इंफाल के इलाके में भी मिले हथियार

तेजयुग न्यूज़

गुवाहाटी : मणिपुर पुलिस ने 28 मार्च को बिष्णुपुर जिले में भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटकों की जब्ती के बाद चार लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चार लोगों की पहचान सलाम रमेश्वर सिंह, टोंगब्रम ज्ञानजीत सिंह, पुखेम इंगोचा सिंह और थोकचोम टेम्बा के रूप में की गई है। गिरफ्तारियों के साथ-साथ, अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में सामान जब्त किया, जिसमें तीन एसएलआर राइफलें और चार खाली मैगजीन शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने बीस लाइव राउंड, सात मोबाइल फोन, एक बाओफेंग वॉकी टॉकी सेट और दो कारों के साथ-साथ बैग और कई अन्य सामान जब्त कर लिए। भारतीय सेना ने दो अलग-अलग स्थानों पर कैडरों और हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और युद्ध जैसे भंडारों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद समन्वित अभियान शुरू किया, पहला बिष्णुपुर जिले का कुंबी क्षेत्र और इंफाल का सामान्य क्षेत्र मफौ। मणिपुर का पूर्वी जिला. बिष्णुपुर पुलिस और मणिपुर कमांडो के साथ एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। एक .303, एक 9 मिमी कार्बाइन, एक देशी पिस्तौल, चार हथगोले और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई।

एक अन्य उदाहरण में, इम्फाल पूर्वी जिले के मफौ के सामान्य क्षेत्र में कैडरों की मौजूदगी के संबंध में सूचना के जवाब में एक तलाशी अभियान चलाया गया था। जहां एक इम्प्रोवाइज्ड मोर्टार, एक पोम्पी मोर्टार, दो ग्रेनेड और गोला-बारूद सहित हथियारों और विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे का सफलतापूर्वक पता लगाया गया।

मणिपुर की एक सीट पर भाजपा नहीं

इम्फाल: भाजपा ने मंगलवार को मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह को हटाकर मणिपुर के शिक्षा मंत्री थौनाओजम बसंतकुमार सिंह को आंतरिक मणिपुर लोकसभा सीट से नामांकित किया। 59 साल के प्रतियोगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री थौनाओजम चाओबा सिंह के बेटे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अब बिष्णुपुर जिले के नंबोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। यह घोषणा मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस दावे के दो दिन बाद आई है कि भाजपा राज्य में भारी अंतर से जीतेगी। इनर मणिपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार थौनाओजम बसंतकुमार सिंह का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार अंगोमचा बिमोल अकोइजम से है। भाजपा ने बाहरी मणिपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है और सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट के उम्मीदवार कचुई टिमोथी जिमिक, एक सेवानिवृत्त भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी, को अपना समर्थन दिया है। आंतरिक मणिपुर सीट और बाहरी मणिपुर के कुछ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होर्गा।